

Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030

Website: nift.ac.in/Bhopal, Telephone - 0755-2493636

NIFT-BPL/SDAC/76/2022

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (ईओआई)

किराये के आधार पर डिजिटल सिनेमा उपकरण की आपूर्ति के लिए

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए की गई थी और इसे संसद के एक अधिनियम, निफ्ट अधिनियम 2006 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था। निफ्ट देश भर में फैशन व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायबरेली, शिलांग, श्रीनगर और वाराणसी में स्थित 19 परिसरों के नेटवर्क के माध्यम से डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में पेशेवरों और छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/अल्पकालिक/हाइब्रिड कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

निफ्ट भोपाल, भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 में स्थित है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 700 छात्र और 60 कर्मचारी हैं। छात्रों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

निफ्ट भोपाल **किराये के आधार पर डीसीआई अनुपालक डिजिटल सिनेमा उपकरण (केवल सर्वर) की** आपूर्ति हेतु गैर-वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत एक उद्यम/कंपनी के चयन की प्रक्रिया में है। जिन नियमों और शर्तों पर अनुबंध दिया जाना है, वे बाद के पृष्ठों में दिए गए हैं और उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है:

- डिजिटल सिनेमा का अवलोकन
- बोलीदाताओं के लिए सूचना एवं निर्देश
- नियम व शर्तें और निर्धारित कार्यक्षेत्र
- नियमों, शर्तों और नियमों के उल्लंघन पर दंड

संक्षिप्त विवरण

1. स्थान - निर्दिष्ट क्षेत्र भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 स्थित निफ्ट के शैक्षणिक भवन में सेमिनार हॉल है। हॉल का क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट है और इसमें लगभग 175 छात्र बैठ सकते हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट क्षेत्र को देखने के लिए संस्थान में आएं।

2. प्रदत्त कार्य का कार्यक्षेत्र

डिजिटल सिनेमा निफ्ट भोपाल के छात्रों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है।

3. **पात्रता मापदंड**- कोई भी इच्छुक उद्यम/कंपनी जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है, वह निफ्ट भोपाल में किराये के आधार पर डिजिटल सिनेमा उपकरण के प्रावधान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी: (i) बोलीदाता को उद्यम/कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) बोलीदाता के पास प्रासंगिक और वैध सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस होना चाहिए

(iii) बोलीदाता के पास वैध जीएसटी पंजीकरण और पैन पंजीकरण होना चाहिए।

(iv) बोलीदाता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25) में न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹ 100.00 लाख होना चाहिए।

(v) बोलीदाता को किसी भी कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो ।

बोलीदाताओं के लिए सूचना और निर्देश

1. **सामान्य**:

(i) संलग्न प्रपत्रों में मांगी गई सभी सूचनाएं संबंधित स्तंभों में दी जानी चाहिए। यदि किसी कारण से, सूचना अलग शीट पर दी जाती है, तो इस तथ्य का संबंधित स्तंभ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है, तो भी उस स्तंभ में "शून्य" प्रविष्टि की जानी चाहिए। यदि आवेदक के मामले में कोई विवरण/प्रश्न लागू नहीं होते हैं, तो इसे "एनए" के रूप में बताया जाना चाहिए। आवेदकों को सावधान किया जाता है कि अधूरी जानकारी देना, भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व करना, स्पष्ट शब्दों में जानकारी नहीं देना, जानबूझकर जानकारी को दबाना या निर्धारित प्रपत्रों, विवरणों और संलग्नकों में कोई भी परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप आवेदन को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) आवेदन मुद्रित प्रारूप में होना चाहिए। बोलीदाता को सभी कॉलम में जानकारी भरनी चाहिए और आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। EOI को निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा साथ ही सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। EOI जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अधूरे हैं या अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iii) ओवरराइटिंग से बचना चाहिए। यदि कोई सुधार हो तो उसे साफ-साफ काटकर, फिर से लिखकर और तारीख के साथ हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। ईओआई दस्तावेज़ के पृष्ठों पर क्रमवार संख्या अंकित होनी चाहिए। यदि आवेदक द्वारा कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ा गया है तो उसे भी क्रमांकित किया जाना चाहिए।

(iv) आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना यदि तुरंत या बाद में गलत पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा आवेदक को भविष्य में उसी संबंध में अपनी सेवाएं प्रदान करने में भागीदारी से वंचित कर दिया जाएगा।

(v) ईओआई को अनुलग्नक । और ॥ में दिए गए प्रोफार्मा में जमा किया जाना चाहिए। अनुलग्नक । को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर 'तकनीकी बोली' के रूप में चिह्नित और सीलबंद होना चाहिए। अनुलग्नक ॥ को एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर 'वित्तीय बोली' के रूप में चिह्नित और सीलबंद होना चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के रूप में चिह्नित लिफाफों को एक लिफाफे के अंदर रखा जाना चाहिए जिस पर "निफ्ट भोपाल को किराये के आधार पर डीसीआई अनुरूप डिजिटल सिनेमा उपकरण (केवल सर्वर) की आपूर्ति के लिए ईओआई", उल्लिखित कर भेजे जाने चाहिए। इस सीलबंद लिफाफे में आवेदन संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 को संबोधित किया जाना चाहिए जिसपर बोलीदाता का पता उल्लिखित होना चाहिए। उपरोक्त आवेदन संस्थान में दिनांक 19/07/2025 शाम 05:30 बजे तक पहुंच सके। ईमेल, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा भेजे गए आवेदनों और देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. निफ्ट भोपाल को अभिरुचि पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम व शर्त को संशोधित करने या वापस लेने या बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व वहन किए बिना किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और वह योग्य अभिरुचि पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के अधिकारियों का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

3. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से विक्रेता का अंतिम चयन, अनुबंध की अवधि के लिए उद्धृत न्यूनतम कुल मूल्य पर आधारित होगा, जिसमें स्थापना और किराया भी शामिल है।

4. सफल बोलीदाता को प्रदान किए गए उपकरणों का पूर्ण और व्यापक बीमा सुनिश्चित करना चाहिए और निफ्ट भोपाल न तो उपकरणों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा का भुगतान करेगा और न ही उपकरणों में किसी प्रकार की क्षति या दोष के लिए कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने से पहले, सेवा प्रदाता को संभावित असाइनमेंट के सभी पहलुओं से अवगत होने के लिए संस्थान का दौरा करने की सलाह दी जाती है।

5. अभिरुचि की अभिव्यक्ति ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद खोली जाएगी।

नियम व शर्तें और निर्धारित कार्यक्षेत्र

 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डिजिटल सिनेमा के लिए लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित उपकरण हर समय कार्यात्मक हों। किसी भी तरह की खराबी को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में 48 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

2. स्थापित/प्रयुक्त उपकरण अच्छी गुणवत्ता के होंगे तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगे।

3. उपकरण की स्थापना के लिए आवश्यक रैक/माउंट/फर्नीचर, यदि कोई हो, लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों का रखरखाव पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है।

4. अनुबंध प्रारंभ में दस महीने की अवधि के लिए होगा (केवल अगस्त से मई तक) और प्रदान की गई सेवाओं की समीक्षा के आधार पर इसे दस महीने की दो अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जून और जुलाई के महीनों के लिए कोई किराया नहीं दिया जाएगा।

5. स्थापना शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान निफ्ट भोपाल द्वारा चालान प्राप्त होने की तिथि से, सफल स्थापना के पश्चात गणना किए गए 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। किराया, यदि कोई हो, तो जुर्माना काटने के पश्चात, दो-मासिक आधार पर देय होगा। चालान दो महीने की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद महीने की 7 तारीख तक जारी किया जाना चाहिए।

6. ऐसी सेवा के प्रावधान से संबंधित सभी कानूनों का अनुपालन या मंजूरी या प्रमाण पत्र प्राप्त करना लाइसेंसधारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

7. निफ्ट भोपाल में उपलब्ध कराए गए उपकरणों की स्थापना/उन्मूलन या रखरखाव के लिए लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में सभी अधिनियमों का अनुपालन और सभी कानूनों का पालन करना लाइसेंसधारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। 8. लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निफ्ट भोपाल में उपलब्ध कराए गए उपकरणों की स्थापना/उन्मूलन या रखरखाव के लिए लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी संक्रामक रोगों से मुक्त हों। लाइसेंसधारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी कर्मचारी अच्छे व्यवहार वाले हों और विनम्र व्यवहार करें।

9. निफ्ट भोपाल में उपलब्ध कराए गए उपकरणों की स्थापना/उन्मूलन या रखरखाव के लिए लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को कोई आवास, कोई चेंजिंग/आराम कक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों के कामकाज से संबंधित सभी खर्च लाइसेंसधारी के दायरे में होंगे।

10. निफ्ट भोपाल में उपलब्ध कराए गए उपकरणों की स्थापना/उन्मूलन या रखरखाव के लिए लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को किसी दुर्घटना, चोट/मृत्यु के मामले में उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। ऐसे मामलों में संस्थान के अधिकारी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

11. लाइसेंसधारी को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने, सौंपने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं होगी।

12. लाइसेंसधारी को निफ्ट भोपाल के नामित अधिकारी से उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने होंगे तथा आवश्यकतानुसार शीघ्रता से सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

13. संस्थान का नामित प्राधिकारी लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा।

14. लाइसेंसधारी किसी भी और सभी करों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें वाणिज्यिक संपत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, मौजूदा या भविष्य के कानूनों, अधिनियमों, नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि के तहत शुल्क उपकर शामिल हैं, जो केंद्र या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय प्राधिकरण या आपूर्ति के संबंध में या उसके संबंध में निकाय द्वारा जारी किए जाते हैं और निफ्ट ऐसे करों, दरों, शुल्कों आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वे मौजूदा हों या जो भविष्य में अर्जित हो सकते हैं।

15. कार्य आदेश जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहने या लाइसेंसधारी द्वारा अवैध, अनैतिक, हिंसक गतिविधियों में शामिल होने या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर लाइसेंसधारी को संस्थान की किसी भी निविदा / ईओआई में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

17. निफ्ट भोपाल बिना कोई कारण बताए एक महीने के नोटिस पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए कोई मुआवजा / क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। ठेकेदार अनुबंध के निरस्तीकरण या समाप्ति की सूचना की तिथि से एक महीने के भीतर सभी सामानों के साथ उक्त परिसर से खुद को हटा लेगा और इसे पूरी तरह से खाली छोड़ देगा। यदि ठेकेदार सहमत अवधि की समाप्ति से पहले अनुबंध समाप्त करने का इच्छुक है, तो ठेकेदार निफ्ट भोपाल को लिखित में तीन महीने पहले नोटिस देगा। अनुबंध की समाप्ति किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को देय किसी भी राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और साथ ही इससे पहले किए गए किसी भी दायित्व का पालन या निर्वहन भी नहीं करेगी।

18. समझौते या उसके उल्लंघन या उसकी अमान्यता से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी विवाद के मामले में, पहले उसे बातचीत के ज़रिए निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपसी बातचीत से उसका समाधान नहीं होता है, तो उसे निफ्ट भोपाल के निदेशक या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। सभी विवाद केवल भोपाल (मध्य प्रदेश) क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

19. सफल बोलीदाता को स्टाम्प पेपर पर अनुबंध की शर्तों और नियमों पर निफ्ट भोपाल के साथ एक समझौता करना होगा। ठेकेदार हस्ताक्षरित अनुबंध की तैयारी और निष्पादन के लिए सभी लागतों/प्रभारों और खर्चों को वहन करेगा और दो प्रतियों में भुगतान करेगा। संस्थान मूल अनुबंध दस्तावेज़ को अपने पास रखेगा और ठेकेदार को उसकी प्रति अपने पास रखनी होगी।

20. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन, खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड जैसे काम छोड़ देना, अनुबंध को ठीक से पूरा न करना, या वित्तीय विफलता / कमजोरी आदि के कारण अनुबंध समाप्त हो सकता है।

नियमों, शर्तों और नियमों के उल्लंघन पर दंड

विक्रेता पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा:

- उपकरण को कार्यशील स्थिति में रखने में विफलता।
- 2. निर्धारित समय में दोषपूर्ण उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन में विफलता।
- 3. अनुबंध में वर्णित किसी भी नियम के लिए, नियम का पहला उल्लंघन करने पर ₹ 500/- का जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले जुर्माने के किसी अन्य दिन उसी नियम का दूसरा और बाद का उल्लंघन करने पर लाइसेंसधारक पर जुर्माने की प्रारंभिक राशि का तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
- जुर्माना लगाने का अंतिम निर्णय निफ्ट भोपाल के निदेशक को लेना है।
- इस प्रकार लगाया गया जुर्माना लाइसेंसधारी को देय किराये से काट लिया जाएगा।

मैं एतद्दवारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उद्यम/कंपनी को किसी भी कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर		:	
(स्टाम्प के साथ	I)		
नाम / फर्म का	नाम	:	
पता		:	
तारीख	:		
मोबाइल न0	:		

:

ईमेल आईडी

तकनीकी बोली अभिरुचि की अभिव्यक्ति निफ्ट भोपाल में किराये के आधार पर डिजिटल सिनेमा उपकरण (केवल सर्वर) की आपूर्ति के लिए

1.	प्रतिष्ठान /कंपनी पंजीकरण के अनुसार उद्यम/कंपनी का नाम	
2.	पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार उद्यम/कंपनी का पता/पते	
3.	लैंड लाइन/मोबाइल नं.	
4.	ईमेल आईडी	
5.	प्रतिष्ठान/कंपनी पंजीकरण संख्या (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
6.	सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस संख्या (लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)	
7.	पंजीकृत प्रतिष्ठान/कंपनी के संबंध में पैन नंबर (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
8.	पंजीकृत प्रतिष्ठान/कंपनी के संबंध में जीएसटी संख्या (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
9.	यूडीआईएन नंबर के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाणपत्र।	प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें

टिप्पणी: क्रम संख्या 5 से 9 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस विषय पर मौजूदा कानूनों के अनुसार छूट लागू होगी। उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता, जब तक कि अन्यथा छूट न दी गई हो, बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित मुहर)

तारीख:

<u>वित्तीय बोली</u>

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

निफ्ट भोपाल में किराये के आधार पर डिजिटल सिनेमा उपकरण (केवल सर्वर) की आपूर्ति के लिए

मैं/हम निफ्ट भोपाल को डीसीआई अनुपालक डिजिटल सिनेमा उपकरण (केवल सर्वर) रुपए
...... (आंकड़ों में) रुपये...... (शब्दों में) के किराये (10 महीने) पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हैं।

 एक बार का स्थापना शुल्क लगेगा ₹..... (अंकों में) रुपए......(शब्दों में)

(कृपया राशि का उल्लेख आंकड़ों व शब्दों में करें, यदि कोई हो तो कर सहित)

चयन के मानदंडः कुल उद्धृत. न्यूनतम शुल्क ।

नोट : i. अधिकतम किराया (डिजिटल सिनेमा उपकरण (केवल सर्वर)) – रु. 20,000.00 प्रति माह (टैक्स सहित)

ii. अधिकतम एक बार का स्थापना शुल्क – रु. 12,000.00 (टैक्स सहित)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित मुहर)

तारीख:



National Institute of Fashion Technology Ministry of Textiles, Govt. of India

Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030

Website: nift.ac.in/Bhopal, Telephone - 0755-2493636

NIFT-BPL/SDAC/76/2022

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

FOR SUPPLY OF DIGITAL CINEMA EQUIPMENT ON RENTAL BASIS

National Institute of Fashion Technology (NIFT) was set up by the Ministry of Textiles, Government of Indiain 1986 for the promotion and development of education and research in field of Fashion Technology and was accorded statutory status through an Act of Parliament, NIFT Act 2006. NIFT provides fashion business education across the country. NIFT offers Under Graduate/ Post Graduate/PhD programmes in various fields of design, management and technology through a network of 19 campuses located at Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Daman, Delhi, Gandhinagar, Hyderabad, Jodhpur, Kangra, Kannur, Kolkata, Mumbai, Panchkula, Patna, Raibareli, Shillong, Srinagar and Varanasi. NIFT also offers Diploma/Certificate/Short-term/Hybrid programmes to address the specialised needs of professionals and students in the field of fashion. NIFT has its head office in New Delhi.

NIFT Bhopal is located at Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. Presently NIFT Bhopal has around 700 students and 60 employees. The number of students and employees may change.

NIFT Bhopal is in the process of selection of An enterprise/company for **Supply of DCI Compliant Digital Cinema Equipment (Server only) on Rental Basis** in NIFT Bhopal, under non-commercial category. The terms and conditions on which the contract is to be awarded are given in the subsequent pages and are divided under the following headings:

- Overview of the Digital Cinema
- Information and Instructions for Bidders
- Terms and conditions and scope of work
- Penalties for Violation of Rules, terms and conditions

OVERVIEW OF THE ART STATIONERY SHOP

1. **Location** - The designated area is the Seminar Hall in the Academic Building of NIFT at Bhopal-Indore Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. The hall has an area of 2000 Sq ft and

can seat around 175 students. The bidders are advised to visit the Institute to physically see the designated area.

2. General Scope of the Assignment:

The Digital Cinema shall is a facility provided to the students and employees of NIFT Bhopal.

3. **Eligibility Criteria** - Any interested enterprise/company who meets the following criteria shall be eligible to apply for Provisioning of Digital Cinema Equipment on Rental Basis at NIFT Bhopal:

(i) The bidder should be registered as an enterprise/company.

(ii) The bidder should have a relevant and valid cinematograph license.

(iii) The bidder should have a valid GST registration and PAN registration.

(iv) The bidder should have minimum annual turnover of ₹ 100.00 lakh in last 3 financial years (i.e. FY 2022-23; FY 2023-24 & FY 2024-25).

(v) The bidder should not have been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR BIDDERS

1. General:

(i) All information called for in the annexed forms should be furnished against the relevant columns. If for any reason, information is furnished on a separate sheet, this fact should be clearly mentioned against the relevant column. Even if no information is to be provided in a column, a "nil" entry should be made in that column. If any particulars /queries are not applicable in case of the applicant, it should be stated as "NA". The applicants are cautioned that giving incomplete information, giving misleading or false representation, not giving information in clear terms, deliberately suppressing the information or making any change in the prescribed forms, statements and enclosures shall result in the application being summarily rejected.

(ii) The application should be in printed form. The bidder should fill up information in all the columns and sign each page of the application as well as the submitted documents. EOI shall be submitted in the prescribed format only along with all supporting documents as required. EOIs which are not in prescribed format or are incomplete or submitted without requisite documents shall be summarily rejected.

(iii) Overwriting should be avoided. Correction, if any, should be made by neatly crossing out, rewriting and authenticated by initialing with date. Pages of the EOI document are serially numbered. Additional sheets, if any added by the applicant, should also be numbered by him/her.

(iv) Any information furnished by the applicant found to be incorrect either immediately or at a later date, would render him/her ineligible and the applicant shall be debarred from participation for providing their services in the same respect in future.

(v) The EOI should be submitted in the proforma given in **Annexure I & II**. Annexure I, along with all supporting documents should be kept in an envelope marked as 'Technical Bid' and sealed; Annexure II should be kept in an envelope marked as 'Financial Bid' and sealed. Envelopes marked as Technical Bid and Financial Bid should be kept inside a cover (envelope) which should be super scribed with the words "EOI for **Supply of DCI Compliant Digital Cinema Equipment (only Server) on Rental Basis to NIFT Bhopal**", and the cover is to be sealed. The sealed cover addressed to the **Joint Director, National Institute of Fashion Technology, Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030**, and containing the address of the bidder should be personally delivered or sent by registered post or courier only so as to reach the Institute by **19-07-2025 till 05:30 PM**. Applications sent by any other mode or those received late will not be entertained.

2. NIFT Bhopal reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions mentioned in the Expression of Interest document or to reject any or all the application without giving any notice or assigning any reason thereof or incurring any liability to the bidders and shall not be bound to accept the qualified Expression of Interest. The decision of NIFT BHOPAL authorities in this regard shall be final and binding on all.

3. Final selection of vendor, from technically qualified bidders, shall be based on the lowest total value quoted for the period of contract, including installation and rental.

4. The successful bidder should ensure complete and comprehensive insurance of the equipment provided and NIFT Bhopal shall neither pay any kind of security for the equipment nor be liable to pay any compensation for damage or defect to the equipment. Before submitting the Expression of Interest, the service provider is advised to visit the Institute to apprise himself of all the aspects of the prospective assignment.

5. Expression of Interest will be opened after last date of EOI submission.

TERMS AND CONDITIONS AND SCOPE OF WORK

1. It should be ensured the equipment installed by the licensee for the Digital Cinema is functional at all times. Any defect arising should be rectified at the earliest and in no case beyond 48 hours.

2. Equipment installed/used shall be of good quality, conforming to laid down safety standards.

3. Racks/mount/furniture, if any, required for installation of the equipment shall be provided by the licensee. Maintenance of all the equipment provided by the licensee is solely his responsibility.

4. The contract shall be initially for a duration of **ten months** only from August to May and may be extended for further two periods of ten months each, based on review of services provided. No rental shall be paid for the months of June & July.

5. Installation charges, if any, will be paid within 30 days, calculated after of successful installation, from the date of receipt of invoice by NIFT Bhopal. Rental shall be payable on bimonthly basis, after deduction of penalty, if any. The Invoice should be raised by the 7th of the month immediately after completion of two-month duration.

6. Compliance of all laws or obtaining clearances or certificates related to provisioning of such service shall be the sole responsibility of the Licensee.

7. Compliance to all Acts and abiding by all laws in respect of employees engaged by the licensee for installation/uninstallation or maintenance of the equipment provided in NIFT Bhopal, shall be the sole responsibility of the Licensee.

8. The licensee should ensure that all the employees engaged by the licensee for installation/uninstallation or maintenance of the equipment provided in NIFT Bhopal are free from communicable diseases. The licensee shall also ensure that all all such employees are well mannered and display courteous behavior.

9. No accommodation, no changing/resting room, will be provided to the workmen of the licensee engaged by him for installation/uninstallation or maintenance of the equipment provided in NIFT Bhopal and all expenses related to the functioning of such employees shall be in the scope of the licensee.

10. Liability/responsibility in case of any accident, causing injury/death to any employee engaged by the licensee for installation/uninstallation or maintenance of the equipment provided in NIFT Bhopal shall be of the licensee. The Institute authorities shall not be responsible in any means in such cases.

11. The licensee shall not be allowed to transfer, assign, pledge or sub-contract its rights and liabilities under this contract to any other agency.

12. The licensee shall get suitable instructions from the designated official of NIFT Bhopal and shall provide the services promptly as per requirement.

13. Designated authority of the Institute will supervise the functioning of the equipment provided by the licensee.

14. The Licensee shall be wholly responsible for payment of any and all taxes including but not limited to commercial property tax, sales tax, GST, duties cess under the existing or future Laws, acts, Rules, Orders, Notifications etc, issued by the Central or State Governments or any local authority, or body in respect or in connection with supplies and NIFT shall not be liable to pay such taxes, rates, duties etc., whether existing or which may accrue in future.

15. Failure to start work within 15 days after issuing of work order or involvement of the licensee in illegal, unethical, violent activities or breach of any terms and conditions of the agreement will lead to debarment of the licensee from participating in any of the Tender/EOI of the institute.

17. NIFT Bhopal reserves the right to terminate the contract at one month's notice without assigning any reason, for which no compensation / damages will be paid. The contractor shall remove himself / herself from the said premises with all belongings and leave it entirely vacant within one month of the date of notice of revocation or termination of the contract. In case the contractor is desirous of terminating the contract before expiry of the period agreed, then contractor shall provide three-month advance notice in writing to NIFT Bhopal. The termination of the contract shall not release either party of its obligation to pay any sums then owing to the other party and also perform or discharge any liability that had been incurred prior thereto.

18. In case of a legal dispute arising out of or relating to the agreement or breach, or the invalidity thereof, the same shall first be attempted to be settled by discussions. If the same is not resolved through mutual discussions, then the same shall be referred to the sole arbitration of the Director, NIFT Bhopal or any person nominated by him. The decision of the arbitrator shall be final and binding on both the parties. All disputes are subject to Bhopal (MP) jurisdiction only.

19. The successful bidder will have to make an agreement with NIFT Bhopal on terms and conditions of the contract on stamp paper. The contractor shall bear and pay all the costs / charges and expenses incidental to the preparation and execution of the signed agreement in duplicate. The Institute shall retain the original contract document and the contractor shall keep the duplicate of the same.

20. Violation of any of the terms of agreement, record of poor performance such as abandoning work, not properly completing the Contract, or financial failures /weaknesses etc may lead to termination of contract.

PENALTIES FOR VIOLATION OF RULES, TERMS AND CONDITIONS

The vendor will be fined inter alia in the following situation:

- 1. Failure to keep the equipment in working condition.
- 2. Failure to repair/replace faulty equipment in stipulated time.

3. For any rule stated in the agreement, first violation of the rule shall attract a fine of ₹ 500/-. Second and subsequent violations of the same rule on a different day of the previous fine willattract triple the initial amount of fine on the licensee.

- 4. The final decision of fines being imposed lies with the Director, NIFT Bhopal.
- 5. The fine so imposed shall be deducted from the rental payable to the licensee.

SELF-DECLARATION

I hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed thereof. I also declare that the Enterprise/ Company has not been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

SIGNATURE	:	
(with stamp)		
NAME / FIRM NAME	:	
ADDRESS	:	
	•	
DATE	:	
MOBILE No	:	
E-MAIL ID	:	

Annexure-I

TECHNICAL BID

EXPRESSION OF INTEREST

FOR SUPPLY OF DIGITAL CINEMA EQUIPMENT (only Server) ON RENTAL BASIS AT NIFT BHOPAL

1.	Name of the enterprise/company as per establishment/company Registration	
2.	Address/s of the enterprise/company as per Registration Certificate	
3.	Land Line/ Mobile No.	
4.	Email ID	
5.	Establishment/Company Registration Number (attach copy of Registration Certificate)	
6.	Cinematograph License Number (attach copy of License)	
7.	PAN No. in respect of the registered establishment/company (attach copy of PAN Card)	
8.	GST No. in respect of the registered establishment/company (attach copy of Certificate)	
9.	Turnover Certificate attested by a Chartered Accountant with UDIN No.	attach copy of Certificate

NOTE: Submission of documents mentioned at Ser No 5 to 9 is mandatory. Exemptions will be applicable as per existing laws on the subject. Failure to furnish above information or submission of documents, unless, otherwise exempted, will result in disqualification of the bidder.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date:

FINANCIAL BID

EXPRESSION OF INTEREST

FOR SUPPLY OF DIGITAL CINEMA EQUIPMENT (only Server) ON RENTAL BASIS AT NIFT BHOPAL

1. I/We offer to provide to NIFT Bhopal DCI Compliant Digital Cinema Equipment (only Server) for a rental (10 months) of ₹..... (in figures) Rupees (in words).

2. One time installation charges shall be ₹..... (in figures) Rupees (in words).

3. Total charges for the duration of contract are ₹..... (in figures) Rupees (in words).

(Please mention the amount in figures and in words, inclusive of taxes, if any)

Criteria of Selection: Total lowest charges quoted.

Note:

i. Maximum rental (DCI Compliant Digital Cinema Equipment (only Server)) - Rs. 20,000.00 per month (Incl. of Taxes)

ii. Maximum One time installation charges – Rs.12, 000.00 (Incl. of Taxes)

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date: